



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई

ए-112, तलवंडी, कोटा (राजस्थान)-324005

Project Implementation Unit

A-112, Talwandi, Kota (Rajasthan)-324005

दूरभाष/Phone : +91-744-2406315

+91-8130006149

ई-मेल/ E-mail : kota@nhai.org

kotapiu@gmail.com

क्रमांक: 290120/EE-WRD/Darah-Jhalawar-Teendhar/169/ 621

दि.: 27.02.2025

सार्वजनिक टिप्पणियों का आमंत्रण

विषय: Proposal for grant of permission for laying and crossing of 3 water pipe line for irrigation at Ch. 329+750, 330+600 & 332+600 of NH-52 of Darah to Jhalawar section (Application No. 20241113/1/5/25525/12520) : **सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।**

संदर्भ: i). Executive Engineer, WRD, Kota Letter no. 2889 dated 29-10-2024

ii). PD, PIU-Kota letter no. 290120/EE-WRD/Darah-Jhalawar-Teendhar/169/478 dated 13.02.2025

iii). RO, Jaipur letter no. NHAI/18013/1/2024-ROJ/Permission-Crossing Water pipeline/WRD/424/NH-52 km 329+750/2923 dated 27.02.2025

महोदय,

सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि अधीक्षण अभियंता डबल्यू आर डी झालावाड ने उपरोक्त संदर्भ (i) के तहत उद्धृत पत्रों के माध्यम से विषयगत कार्य के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और पीडी, एनएचआई, पीआईयू- कोटा ने संदर्भ (ii) के तहत पत्र के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी, राजमार्ग प्रशासन के अनुमोदन के लिए उपरोक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

It is to inform all concern that Executive Engineer WRD Jhalawar vide letters cited under ref. (i) above has submitted a proposal for subject work and PD, NHAI, PIU-Kota has submitted the above proposal vide letter under reference (ii) for approval of Competent Authority, Highway Administration.

2. यह प्रस्ताव राजस्थान राज्य के जिला झालावाड में एनएच-52 के दराह से झालावाड़ खंड के चैनेज 329+750, 330+600, 332+600 पर सिंचाई के लिए 3 पानी की पाइप लाइन बिछाने और क्रॉसिंग का प्रस्ताव अनुमति प्रदान करने के लिए है। This proposal for grant of permission for laying and crossing of 3 water pipe line for irrigation at Ch.329+750, 330+600, 332+600 of NH-52 of Darah to Jhalawar section of Nh-52 District Jhalawar in the State of Rajasthan.

3. मंत्रालय के परिपत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/29/2015 एसएंडआर(आर) दिनांक 22.11.2016 के पैरा-4 के अनुसार, राजमार्ग प्रशासन द्वारा प्रस्ताव को दावे और आपत्तियाँ (सार्वजनिक असुविधा, सुरक्षा और सामान्य सार्वजनिक हित के आधार पर) मांगने के लिए 30 दिनों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा। As per para-4 of Ministry's Circular No. RW/NH-33044/29/2015 S&R (R) dated 22.11.2016, the application shall be put out in the public domain for 30 days for seeking claims and objections (on ground of public inconvenience, safety and general public interest).

4. उपरोक्त के मद्देनजर, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पहले, मंत्रालय के दिनांक 22.11.2016 के परिपत्र के संदर्भ में प्रभावित जनता की टिप्पणियाँ/आपत्तियाँ आमंत्रित की जाती हैं, क्योंकि इस खंड पर क्रॉसिंग बिछाने और पार करने के कारण आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ निर्धारित तिथि 26.03.2025 तक नीचे दिए गए पते पर भेजी जा सकती हैं, कोई भी टिप्पणी/आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जाएंगी।

In view of the above, before approval of the competent authority, the comments/objections of affected public is hereby invited with reference to the Ministry's circular dated 22.11.2016 due to laying and crossing of crossing on the subjected stretch. The objections/comments may be addressed to the below mentioned address upto 26.03.2025 beyond due date, no comments/objections will be accepted.

परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई कोटा ए-112 तलवंडी कोटा (राजस्थान)-324005	Project Director Project Implementation Unit Kota A-112, Talwandi, Kota (Rajasthan)-324005
---	--

यह पत्र राजमार्ग प्रशासन परियोजना निदेशक कोटा के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

Yogesh Bhardwaj 27/02/25

(योगेश बरहड)

प्रबन्धक (तकनीकी)

- Copy to: (i) वेब प्रशासन, एनएचआई, मुख्यालय, नई दिल्ली - एनएचआई की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु [web-dmin@nhai.org]
(ii) निदेशक, एनआईसी, नई दिल्ली - मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु [rahul.sh@nic.in]
(iii) श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर: सूचनार्थ
(iv) श्रीमान अधीक्षण अभियंता, डबल्यू आर डी झालावाड: सूचनार्थ।